5

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय - एक तुलनात्मक अध्ययन

मोना यादव*

सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे के परिवर्तन हेतु शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्त्री समाज का आधा हिस्सा है, आधी दुनिया है, जगत् निर्मात्री है। यदि हमें अपने संपूर्ण समाज का विकास करना है, तो हम आधी दुनिया को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। अतः इस आधी दुनिया, यानी महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से एक शिक्षित महिला अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए संघर्षशील होती है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जहाँ अभी जन्म के अधिकार के लिए ही लड़कियों को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो फिर शिक्षा के अधिकार के लिए तो बहुत प्रयास करने की ज़रूरत है।

शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने के लिए भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं को केंद्र में रखकर मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय योजनाएँ शुरू कीं, उनमें से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) भी एक है। यह योजना ऐसे वंचित वर्गों की लड़कियों के लिए है, जो हाशिये पर धकेल दी गई हैं।

के.जी.बी.वी., कौढ़िहार, (NGO), इलाहाबाद की नई बिल्डिंग

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय योजना है, जिसका शुभारंभ 2004 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व गरीबी की रेखा के नीचे की वे बालिकाएँ जो शिक्षा से वंचित हैं तथा जो बालिकाएँ घर की आर्थिक परिस्थितियों, समाज में होनेवाली हिंसा और अन्य किसी कारणवश विद्यालय नहीं जा सकीं तथा पाँचवीं कक्षा के बाद नहीं पढ़ पाई, उन्हें पुनः शिक्षा से जोड़ना

* वरिष्ठ प्रवक्ता महिला अध्ययन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली

है। इस प्रकार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ड्रॉपआउट किशोरियों के लिए हैं और ऐसी लड़कियों के लिए भी जो किसी कारण से विद्यालय नहीं जा पाई तथा जिनका कभी विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ चूँकि यह योजना किशोरियों को आवासीय विद्यालय उपलब्ध करवाती है, अत: छात्राओं के सर्वांगीण विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। छात्राएँ प्रत्येक क्षण अध्यापिकाओं की देखरेख में रहती हैं तथा हर समय सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से गुज़रती रहती हैं। किशोरियों को विद्यालय में सभी सुविधाएँ मुफ़्त उपलब्ध होती हैं। अत: वे सामाजिक तथा आर्थिक दबावों से मुक्त रहती हैं और परिणामस्वरूप ठीक से पढ़ाई कर पाती हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम उनकी उपलब्धि पर पड़ता है।

इस प्रकार इस योजना के उद्देश्य हैं-

- किसी भी कारणवश छूटी पढ़ाई को कक्षा 6, 7, और 8 की पढ़ाई के साथ जोड़ना।
- संगठनात्मक सोच का विकास करना।
- नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
- निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
- आत्मविश्वास जाग्रत करना।
- अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और गरीबी की रेखा के नीचे के स्तर वाली किशोरियों को शिक्षित करने का प्रयास करना।

इन उद्देश्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना में किशोरियों के आंतरिक और बाह्य विकास पर बल दिया गया है।

हमारे देश के सभी राज्यों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं। यह योजना राज्य सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई जा रही है, जिसमें महिला समाख्या और गैरसरकारी संगठन की भी भागीदारी है। उत्तर प्रदेश में भी के.जी.बी.वी. उपरोक्त तीनों संस्थाओं के सहयोग से चलाए जा रहे हैं। इलाहाबाद ज़िले के तीनों के.जी.बी.वी. में से 'कौराँव,' सर्वशिक्षा अभियान द्वारा, 'शंकरगढ़,' महिला समाख्या द्वारा, 'कौढ़िहार,' गैरसरकारी संगठन द्वारा संचालित हैं। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से कौराँव तथा शंकरगढ़ ब्लॉक के के.जी.बी.वी. लगभग 15-20 कि0मी0 की दूरी पर स्थित हैं, जबकि कौढ़िहार 25-30 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। महिला शिक्षा विभाग एन.सी.ई.आर.टी के कुछ सदस्यों द्वारा इलाहाबाद ज़िले के कौराँव, कौढ़िहार तथा शंकरगढ़ स्थित के.जी.बी.वी. का दौरा किया गया।

अध्ययन का उद्देश्य- इस अध्ययन का उद्देश्य तुलनात्मक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान, महिला समाख्या और गैरसरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे के.जी.बी.वी. योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में अध्ययन करना था तथा यह जाँचना था तीनों संस्थाओं द्वारा संचालित के.जी.बी.वी. में ढाँचागत और गुणवत्ता के स्तर पर क्या समानताएँ और विभिन्नताएँ हैं। कैसे तीनों के.जी.बी.वी. में ढाँचागत और गुणात्मक स्तर पर समानता स्थापित कर लड़कियों को लाभांवित किया जा सकता है?

अध्ययन की विधि- तीनों के.जी.बी.वी. के अध्यापकों, वार्डन, कर्मचारियों और अभिभावकों से इस विषय में उनके विचार जानने का प्रयास किया गया। इस दौरे के दौरान जो तथ्य उभरकर सामने आए, उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

यहाँ दिए गए तथ्य तीनों के.जी.बी.वी. के गुणवत्तासूचक के रूप में चयन प्रकिया, आधारभूत संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की आवासीय स्थिति और विद्यालय के अन्य संबंधित सकारात्मक पक्षों का मूल्यांकन करते हैं।

चयन प्रकिया- इलाहाबाद ज़िले के के.जी.बी.वी. अलग-अलग संस्थाओं द्वारा संचालित हैं। इसीलिए तीनों जगह अलग-अलग चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। **के.जी.बी.वी, शंकरगढ़ महिला समाख्या** द्वारा चलाया जाता है। अत: उसकी चयन प्रक्रिया भी महिला समाख्या द्वारा निर्धारित होती है। महिला समाख्या प्रत्येक गाँव में एक संघ बनाती है। संघ की महिलाएँ घर-घर का सर्वे करती हैं तथा विद्यालय छोड़नेवाली लड़कियों के बारे में पता लगाती हैं। तत्पश्चात् सहयोगिनी को इसकी जानकारी देती हैं, फिर सहयोगिनी घर-घर जाकर अभिभावकों से बातचीत करके उन्हें अपनी लड़कियों को पुन: विद्यालय भेजने के लिए तैयार करती हैं। महिला समाख्या ने इसके लिए किशोरी मंच का भी निर्माण किया है, जो विद्यालय जाने से पूर्व छात्राओं को तैयार करता है। बारह वर्ष से कम किशोरियों का चयन नहीं किया जाता है। जब-जब लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, तब-तब उनका परीक्षण होता है, जिसमें उनके ज्ञान के स्तर के आधार पर ही उनकी परीक्षा ली जाती है। यह परीक्षण लिखित और मौखिक दोनों ही तरह का होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से शंकरगढ़ की किशोरियों का ही चयन किया जाता है। एक खास बात जो हमने पाई, वह यह है कि यहाँ लड़कियों को प्रवेश देने से पूर्व तथा घर से लौटने के पश्चात् लड़कियों का प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। सुरक्षा की दृष्टि से यह एक सराहनीय कदम है।

के.जी.बी.वी., कौराँव (सर्वशिक्षा अभियान) अलग चयन प्रक्रिया अपनाता है। यह स्थानीय अखबारों में के.जी.बी.वी. से संबंधित विज्ञापन देता है तथा ब्लॉक संसाधन केंद्र से ड्रॉप आउट लड़कियों की सूची प्राप्त करता है। वह लड़कियों को विद्यालय लाने में गाँव के प्रधान, प्रभावशाली व्यक्तियों तथा गाँव के लोगों की मदद लेता है।

स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर चुकी लड़कियाँ भी प्रेरक का काम करती हैं। जब लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, तो उनसे लिखित व मौखिक परीक्षा उनके ज्ञान के स्तर के आधार पर ले ली जाती है। यह 'स्तर परीक्षण' वार्डन, अध्यापकों की सहायता से किया जाता है।

के.जी.बी.वी., कौढ़िहार (गैरसरकारी संगठन) द्वारा प्रत्येक गाँव में विज्ञापन के द्वारा के.जी.बी.वी के बारे में जानकारी दी जाती है। शिक्षिकाएँ घर-घर का सर्वे करती हैं तथा विद्यालय छोड़नेवाली लड़कियों के बारे में पता लगाती हैं। तत्पश्चात् अध्यापिकाएँ लड़कियों को विद्यालय

भेजने के लिए घर-घर जाकर अभिभावकों से बातचीत करती हैं तथा उनको तैयार करती हैं। यहाँ पर भी लड़कियों से उनके ज्ञान के स्तर के आधार पर लिखित एवं मौखिक परीक्षा ली जाती है। यहाँ लड़कियों का के.जी.बी.वी. में लाने के लिए गाँव की महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे उनका विश्वास हासिल कर सकें और निर्भय होकर अपनी लड़कियों को विद्यालय भेज सकें। अभिभावकों को यह प्रशिक्षण एन.जी.ओ द्वारा अपने फंड से ही दिया जाता है।

नामांकन और ठहराव- **के.जी.बी.वी., कौराँव, सर्वशिक्षा अभियान** के विद्यालय में कुल 91 लड़कियों का नामांकन था, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग की और मुस्लिम लड़कियाँ शामिल थीं। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम लड़कियाँ थीं, क्योंकि यह एक मुस्लिम बहुल इलाका है।

इस के.जी.बी.वी में एक खास बात यह थी कि यहाँ *छः लड़कियाँ ऐसी थीं, जिन्होंने के.जी.बी.वी. से आठवीं उतीर्ण की है तथा वे अब नौवीं कक्षा में पढ़ती हैं और पढ़ने के लिए अन्य विद्यालय में जाती हैं, लेकिन वे अभी भी के.जी.बी.वी. में ही रहती हैं।* डाइट के प्रधानाचार्य ने इन लड़कियों को अनुमति दी है। यह एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों ने यह समस्या ज़ाहिर की है कि वे आठवीं के बाद अपनी पढ़ाई जारी नहीं कर पाएँगी। उन्होंने कहा कि हम सभी लड़कियाँ ऐसे परिवारों से आती हैं, जो प्राथमिक स्तर की ही शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, तो फिर वे आठवीं के बाद उन लड़कियों की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएँगे। **के.जी.बी.वी., शंकरगढ़ (महिला समाख्या)** में 91 लड़कियों का नामांकन था, लेकिन दौरे के दौरान हमने पाया कि वहाँ पर केवल 68 लड़कियाँ उपस्थित थीं। वार्डन से बातचीत के दौरान हमने जाना कि अभिभावक ज़्यादा काम होने पर लड़कियों को मज़दूरी के लिए ले जाते हैं। हालाँकि बालश्रम गैरकानूनी है, किंतु उनकी आजीविका का यही एकमात्र साधन है। इसलिए वे अपने बच्चों से भी मज़दूरी करवाते हैं। विद्यालय में नामांकित लड़कियों में से अधिकतर अनुसूचित जनजाति की लड़कियाँ थीं। **के.जी.बी.वी., कौढ़िहार (गैरसरकारी संगठन)** में कुल 100 लड़कियाँ थीं। यहाँ ज़्यादातर लड़कियाँ अनुसूचित जाति की थीं। अनुसूचित जनजाति की एक भी लड़की का नामांकन यहाँ नहीं था।

आधारभूत संरचना- सर्वशिक्षा अभियान द्वारा चलाए जा रहे के.जी.बी.वी. का अपना निजी भवन नहीं है, बल्कि किराए का था। इसके लिए वे लगभग 30,000/-रु. प्रति माह भुगतान करते हैं। उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि उनका निजी भवन तैयार हो रहा है। वे जल्दी ही अपने निजी भवन में चले जाएँगे। लड़कियों से बातचीत के दौरान पता चला कि वे वहाँ नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि नया विद्यालय दूर है तथा जिस विद्यालय में वे अभी हैं, उसमें उन्हें खेल का बड़ा मैदान व खेलने के लिए झूले भी पहले से ही लगे हुए हैं।

बहरहाल विद्यालय में कुल सात कमरे थे, जिनमें से तीन पढ़ने के लिए, दो हॉल सोने के लिए, एक रसोईघर और एक ऑफिस के लिए थे। इनमें रोशनी तथा पंखों की व्यवस्था भी थी तथा विद्यालय में कुल चार शौचालय और स्नानघर भी थे। हालाँकि शौचालय और स्नानघर

कौराँव (*SSA*), इलाहाबाद के 'के. जी.बी.वी.' के शौचालयों की स्थिति

की हालत सफ़ाई की दृष्टि से सोचनीय थी। इन शौचालयों और स्नानघर में पानी की सुविधा नहीं हैं। लड़कियों को बाहर से ही पानी ले जाना पड़ता है। शौच के बाद हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं रखा जाता है। लड़कियाँ या तो अपना साबुन इस्तेमाल करती हैं या फिर हाथ ही नहीं धोती हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।

के.जी.बी.वी., शंकरगढ़(महिला समाख्या) किराए के भवन में स्थित है, जहाँ विद्यालय और छात्रावास एक ही भवन में चलाए जा रहे हैं। विद्यालय में कुल दस कमरे हैं, जिनमें से पढ़ने, सोने, रसोई, स्टोर रूम के लिए एक-एक कमरा तथा वार्डन और महिला लेखाकार को भी एक-एक कमरा मिला हुआ है। इनमें रोशनी तथा पंखों की व्यवस्था भी है तथा विद्यालय में शौचालय और स्नानघर तो हैं, परंतु वे सबके लिए पर्याप्त नहीं हैं। यहाँ पर खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था नहीं है।

के.जी.बी.वी, कौढ़िहार(गैरसरकारी संगठन) नई बिल्डिंग में चल रहा है। नई बिल्डिंग में संरचनात्मक आधार पर कई खामियाँ हैं। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यालय में चारदीवारी नहीं है, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं है। इस विद्यालय के ठीक सामने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित है। कौढ़िहार के प्रबंधक से हमें जानकारी मिली कि चारदीवारी के लिए नई बिल्डिंग के मॉडल में कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा विद्यालय और छात्रावास के बीच में कोई दरवाज़ा नहीं है, जिसके कारण एक वार्डन द्वारा विद्यालय और छात्रावास को सँभाल पाना मुश्किल होता है। विद्यालय में कुल सात कमरे हैं, जिनमें से तीन पढ़ने, तीन सोने और एक ऑफिस के लिए है। एन.जी.ओ द्वारा रसोईघर के लिए अपने फंड से एक अलग से कमरा बनाया गया है, क्योंकि नई बिल्डिंग में दी गई रसोई छोटी थी। यहाँ पर छः शौचालय और स्नानघर थे, जोकि छात्राओं एवं स्टाफ के लिए पर्याप्त थे। विद्यालय में पंखों और रोशनी की व्यवस्था है। बिजली बार-बार चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था है।

ब्रिज कोर्स का प्रावधान- लिखित और मौखिक परीक्षा के पश्चात् लड़कियों को ब्रिजिंग दी जाती है। तीनों ही जगह ब्रिज कोर्स का

अलग-अलग प्रावधान है। इसके लिए कोई निश्चित समयावधि निर्धारित नहीं है।

कौराँव तथा कौढ़िहार में एक महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाता है, जबकि महिला समाख्या द्वारा महिला शिक्षा केंद्र में छः महीने का ब्रिजिंग दिया जाता है। जो लड़कियाँ सीधे महिला शिक्षा केंद्र से आती हैं, उन्हें एक महीने का ब्रिजिंग दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सर्वशिक्षा एवं एन.जी.ओ. द्वारा संचालित के.जी.बी.वी. के निरीक्षण से ज्ञात हुआ कि कभी-कभी लड़कियों को सिखाने में अतिरिक्त समय भी लग जाता है।

स्पष्ट है कि तीनों ही 'के.जी.बी.वी.' के ब्रिजिंग की अवधि तथा पाठ्यक्रम में कोई समानता और स्पष्टता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रवेश लेनेवाली लड़कियाँ या तो ड्रॉपआउट होती हैं या फिर ऐसी हैं, जो कभी विद्यालय ही नहीं गईं। उन लड़कियों के लिए एक, दो या तीन महीने में पहली से लेकर छठी तक का सफ़र तय करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसा कोई साफ़ निर्देश नहीं दिया गया है कि यदि कोई लड़की तीन महीने में भी नहीं सीखती है, तो क्या किया जाएगा । छठी कक्षा में आकर जब इन लड़कियों को यू. पी. बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ना पड़ता है, तो इनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं।

बेहतर शिक्षा!
गतिविधि आधारित शिक्षा!
के.जी.बी.वी. (महिला समाख्या), शंकरगढ़, इलाहाबाद की छात्राएँ समूह चर्चा करते हुए।

पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की गुणवत्ता- तीनों ही के.जी.बी.वी. में राज्य द्वारा निर्धारित पाठयपुस्तकों (U.P. Board) को पढ़ाया जाता है। चूँकि के.जी.बी.वी. में पढ़नेवाली लड़कियाँ ड्रॉपआउट होती है या फिर ऐसी हैं, जो कभी विद्यालय ही नहीं गईं; इसलिए तीन या चार महीने की ब्रिजिंग के बाद इन लड़कियों को वही पाठ्यक्रम जो सामान्यतः बच्चों को दिया जाता है समझने में परेशानी होती है।

तीनों ही के.जी.बी.वी. में शिक्षक विभिन्न गतिविधियों द्वारा पाठ को रोचक बनाकर लड़कियों को समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि रोल प्ले, पाठ्यसामग्री, चार्ट, मॉडल, चित्र आदि के द्वारा। अध्यापिकाएँ शारीरिक गतिविधियों द्वारा भी पढ़ाती हैं। वे इन गतिविधियों में सभी छात्राओं को समान रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे लड़कियों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है।

कैसे होता है मूल्यांकन- के.जी.बी.वी,

शंकरगढ़ (**महिला समाख्या**) में नियमित रूप से मासिक परीक्षा ली जाती है, जिससे समय-समय पर उनके स्तर की जानकारी मिलती रहती है। यहाँ प्रत्येक छात्रा का एक प्रोफाइल बनाया गया है, जिसमें वे छात्रा के किए गए मूल्यांकन को दर्ज़ करते हैं। के.जी.बी.वी., कौराँव (**सर्वशिक्षा अभियान**) में मासिक और कभी साप्ताहिक परीक्षा ली जाती है, जबकि के.जी.बी.वी., कौढ़िहार (**एन.जी.ओ.**) में मासिक परीक्षा ली जाती है। इन तीनों ही जगहों पर वार्षिक परीक्षा का भी आयोजन किया जाता है। ये सभी परीक्षाएँ केवल उनके स्तर के परीक्षण के लिए होती हैं।

अतिरिक्त पाठ्यक्रम और रोज़गार प्रशिक्षण के.जी.बी.वी. में रोज़गार से संबंधित कोई योजना उपलब्ध नहीं है। यह फुटकर रूप से लड़कियों को रोज़गार प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास के.जी.बी.वी. की कोई लिखित निर्देशिका नहीं है। अतः उन्हें यह भी मालूम नहीं है कि उन्हें रोज़गार प्रशिक्षण के लिए कितनी आगत मिलती है। **के.जी.बी.वी., शंकरगढ़** (**महिला समाख्या**)- में रोज़गार प्रशिक्षण से संबंधित सुविधाएँ, जैसे- कम्प्यूटर रिपेयर, इलैक्ट्रिसिटी आदि कार्य प्रशिक्षित व्यक्तियों के माध्यम से लड़कियों को सिखाए जाते हैं। ये प्रशिक्षित अध्यापक और व्यक्ति उन्हें महिला समाख्या द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। जूडो-कराटे, योग और जीवन कौशल के बारे में भी सिखाया जाता है। उन्हें पेंटिग, नृत्य, गाना-बजाना, गृहकला, पाककला, सिलाई-कढ़ाई, फूलदान बनाना आदि कार्य सिखाए जाते हैं, ताकि लड़कियाँ आत्मनिर्भर बन सकें। महिला समाख्या द्वारा संचालित के.जी.बी.वी. का एक साप्ताहिक अख़बार भी है, जिसमें सभी लड़कियों की भागीदारी रहती है। इस अखबार के माध्यम से लड़कियों को अपनी भावनाएँ व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर लड़कियों के लिए किशोरी संसद भी बनी हुई है, जिसमें संसद की तरह ही लड़कियाँ अपना रोल निभाती हैं, जैसे- प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सूचना मंत्री, खोया-पाया मंत्री आदि। ये सब अपने नामों के अनुसार ही कार्य करते हैं। इससे व्यवस्थागत रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। लड़कियाँ लोकतांत्रिक मूल्य के प्रति सजग होती हैं तथा उन्हें सामाजिक कर्त्तव्यों का अहसास होता है।

के.जी.बी.वी.,कोराँव(**सर्वशिक्षा अभियान**) में शारीरिक गतिविधियाँ, जैसे योगाभ्यास आदि करवाया जाता है, परंतु आत्मरक्षा से संबंधित (जूडो-कराटे) कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है न ही जीवन कौशल के बारे में सिखाया गया है। केवल व्यावहारिक शिक्षा व सिलाई-कढ़ाई ही सिखाई जाती है। यहाँ सफ़ाई, जल, प्रार्थना, अनुशासन और चिकित्सा आदि अनेक क्लब बने हुए हैं। इन सब व्यवस्थाओं को लड़कियों द्वारा ही देखा जाता है।

के.जी.बी.वी., कौढ़िहार (एन.जी.ओ.) में लड़कियों को रोज़गार प्रशिक्षण से संबंधित कार्य में केवल सिलाई-कढ़ाई ही सिखाई जाती

है। यहाँ भी जीवन कौशल तथा आत्मरक्षा संबंधी कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। वार्डन से जानकारी मिली कि लड़कियों के परिवार की महिलाओं को भी यहाँ सिलाई-कढ़ाई से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे सभी आत्मनिर्भर बनकर विद्यालय की छात्राओं के लिए प्रेरक का कार्य करती हैं। साथ ही इससे अभिभावकों का यह विश्वास भी बढ़ता है कि हमारी लड़कियों को यहाँ पर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये के.जी.बी.वी. जिन **एन.जी.ओ. (जनशिक्षा केंद्र)** द्वारा चलाए जा रहे हैं, वे इलाहाबाद में कम्प्यूटर प्रशिक्षण,

खेलकूद और व्यायाम
रहे अच्छा स्वास्थ्य
खुले व्यक्तित्व के नए आयाम!!

सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटीशियन, पेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन आदि का प्रशिक्षण देते हैं। टीम के सुझाव पर उन्होंने कहा कि आनेवाले समय में वे के.जी. बी.वी. की लड़कियों को भी इन सभी का प्रशिक्षण देंगे।

स्वास्थ्य तथा खेलकूद से संबंधित सुविधाएँ कौराँव में स्थित के.जी.बी.वी. में लड़कियों को स्वास्थ्य तथा खेलकूद से संबंधित सभी सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। लड़कियों का स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है और हर माह उनका चैकअप किया जाता है। अस्पताल भी पास ही है।

के.जी.बी.वी., शंकरगढ़(महिला समाख्या) में न तो स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है और न ही मेडिकल सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। वहाँ की वार्डन ने हमें बताया कि लड़कियों के इलाज के लिए उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। के.जी.बी.वी., कौढ़िहार (एन.जी.ओ.) में लड़कियों का स्वास्थ्य कार्ड बना हुआ है, मेडिकल सुविधा भी दी गई है, परंतु वहाँ अस्पताल दूर है। यातायात का साधन न होने के कारण उन्हें आपात्कालीन स्थिति में समस्या का सामना करना पड़ता है।

शिक्षकों की चयन प्रक्रिया- सर्वशिक्षा अभियान और एन.जी.ओ. द्वारा संचालित 'के.जी.बी.वी.' में अध्यापकों का चयन ज़िला स्तरीय समिति तथा डाइट के द्वारा किया जाता है। साक्षात्कार में सफल शिक्षकों का चयन किया जाता है। **के.जी.बी.वी., शंकरगढ़ महिला समाख्या** में शिक्षकों का चयन महिला समाख्या समिति द्वारा ही किया जाता है।

शिक्षक प्रशिक्षण- सर्वशिक्षा अभियान और एन.जी.ओ. द्वारा शिक्षकों को सात दिन जबकि महिला समाख्या द्वारा पंद्रह दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तीनों ही संस्थाओं द्वारा वार्डन को

अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। महिला समाख्या द्वारा हर एक-दो माह पश्चात् शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिक्षकों की उपलब्धता- पूर्णकालिक शिक्षक और अंशकालिक शिक्षकों का विभाजन विषय के अनुरूप किया गया है- विज्ञान, अँग्रेज़ी और गणित विषय के लिए पूर्णकालिक शिक्षक नियुक्त हैं, जबकि हिंदी, गृहविज्ञान आदि विषयों के लिए अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

वेतन- तीनों ही के.जी.बी.वी. में पूर्णकालिक शिक्षकों का वेतन 9,200/- प्रतिमाह, अर्द्धकालिक का 7,200/- प्रतिमाह और वार्डन का 11,000/- प्रतिमाह है।

शिक्षकों की आवासीय स्थिति और सुविधाएँ- जिस प्रकार अलग-अलग संस्थाओं द्वारा संचालित के.जी.बी.वी. में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया व ट्रेनिंग में अंतर है, उसी प्रकार उन्हें मिलनेवाली सुविधाओं में भी अंतर है। के.जी.बी.वी., कोराँव **(सर्वशिक्षा अभियान)** में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए केवल एक कमरे की ही व्यवस्था है। वार्डन के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था है, किंतु वह बहुत छोटा है, जिससे वार्डन को रहने में असुविधा होती है। वार्डन के परिवार को भी उनके साथ रहने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है, जबकि **के.जी.बी.वी., शंकरगढ़ (महिला समाख्या)** में वार्डन और लेखाकार के लिए अलग-अलग रहने की व्यवस्था है। वहाँ भी वार्डन के परिवार को उनके साथ रहने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व वह नहीं निभा पाती है। **के.जी.बी.वी, कौढ़िहार (एन.जी.ओ.)** में वार्डन के लिए रहने की तो व्यवस्था है, परंतु उनका परिवार उनके साथ नहीं रह सकता हैं।

के.जी.बी.वी, कौराँव **(सर्वशिक्षा अभियान)** और के.जी.बी.वी, कौढ़िहार **(एन.जी.ओ.)** में शिक्षकों और कर्मचारियों को चौदह दिन का आकस्मिक अवकाश दिया जाता है, जबकि के.जी.बी.वी, शंकरगढ़ **(महिला समाख्या)** द्वारा चौदह दिन का आकस्मिक अवकाश, पंद्रह दिन का चिकित्सा अवकाश तथा तीन महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है। सर्वशिक्षा अभियान और एन.जी.ओ. की अपेक्षा महिला समाख्या द्वारा संचालित के.जी.बी.वी. में अधिक छुट्टियों का प्रावधान है, जिससे शिक्षकों को सहूलियत मिलती है। इसके अलावा एन.जी ओ. और महिला समाख्या द्वारा संचालित विद्यालय में तो मोबाइल फोन की सुविधा दी गई है, जबकि सर्वशिक्षा अभियान में फोन या मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। एन.जी ओ. में फोन के लिए 500/- रू. प्रतिमाह महिला समाख्या में 100/-रू. प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसी तरह शिक्षकों की आवासीय स्थिति में अन्य स्तरों पर भी असमानताएँ पाई गई।

अन्य सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता- इलाहाबाद के सभी के.जी.बी.वी में मुफ्त भोजन, मुफ्त वर्दी, किताबें, स्टेशनरी, आदि सुविधाएँ दी जाती हैं। ये सभी सुविधाएँ सभी को समय पर उपलब्ध हो जाती हैं तथा

गुणवत्ता की दृष्टि से भी ये बेहतर हैं। सभी के.जी.बी.वी. दूरदराज़ के पिछड़े इलाकों में स्थित हैं। इसलिए उन सभी के.जी.बी.वी. में यातायात का अपना कोई साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जो कि तीनों ही के.जी.बी.वी. में नहीं था।

निष्कर्ष-

एक समान उद्देश्य को ध्यान में रखकर एक ही योजना (के.जी.बी.वी.) को अलग-अलग संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा है, हालाँकि इनके आर्थिक निर्देश एक जैसे हैं, लेकिन प्रबंधन और क्रियान्वयन में भिन्नताएँ हैं। इलाहाबाद के तीनों के.जी.बी.वी अपनी सभी समानताओं और विभिन्नताओं के साथ कार्यरत है। इन तीनों के.जी.बी.वी. के बीच कोई अंतर्संबंध नहीं है और न ही व्यवस्थागत आधार पर एकरूपता है। चाहे वह चयन प्रकिया हो या फिर पाठ्यक्रम, अध्यापकों और वार्डन की छुट्टियों का प्रावधान या फिर अध्यापकों की आवासीय व्यवस्था इन सभी स्तरों पर एकरूपता का अभाव है। अगर इन सभी के.जी.बी.वी. में कोई समानता है, तो वह है- लगन का जज़्बा जो यहाँ कार्यरत शिक्षकों व कर्मचारियों में देखने को मिला। बिना अपने भविष्य की निश्चितता की परवाह किए, ये पूरी लगन से इन लड़कियों को शिक्षित करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

हमें यहाँ कार्यरत अध्यापकों और कर्मचारियों की इस ज़िम्मेदार भूमिका को न भूलते हुए उनकी सुविधाओं के लिए भी प्रयास करने चाहिएँ, क्योंकि यदि हम चाहते हैं कि यह योजना सफलतापूर्वक चले और ये सभी अध्यापक और कर्मचारी पूरी ईमानदारी से काम करें तो हमें भी उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिएँ, इससे सुविधाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता में सुधार होगा।

इसके अलावा हमें एक ही ज़िले में कार्यरत के.जी.बी.वी. के बीच अंतर्संबंध स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वे अपनी समस्याओं और सफलताओं को एक-दूसरे से बाँट सकें और उनका बेहतर समाधान और उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकें। जो सबसे ज़रूरी बात है, वह यह है कि यदि हम चाहते हैं कि इन के.जी.बी.वी. में एक जैसी प्रतिभा का विकास हो, तो हमें ढाँचागत व व्यवस्थागत स्तर पर एकरूपता स्थापित करने के प्रयास करने होंगे। पाठ्यक्रम व चयन प्रक्रिया संबंधी एकरूपता स्थापित करना अति आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, वह है- इन लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना और इसके लिए आवश्यक है, लड़कियों को रोज़गार और आत्मसुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए। इस दृष्टि से इलाहाबाद के तीनों ही के.जी.बी.वी. की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। ये कुछ छोटे-छोटे प्रयास हैं, जिनके माध्यम से हम वर्ग और लिंग के आधार पर पिछड़ी जाति को समांतर लाने का प्रयास कर सकते हैं और समाज में उन्हें उनका स्थान दिला सकते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव-

- अन्य संस्थाओं के द्वारा संचालित के.जी.बी.वी. की अपेक्षा महिला समाख्या द्वारा

संचालित के.जी.बी.वी. में वार्डन और लेखाकार अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। सभी निर्णय महिला समाख्या द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इस कारण कई बार अनेक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अत: उन्हें थोड़ा लचीला बनाने की आवश्यकता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वार्डन तथा लेखाकार स्वयं निर्णय ले सकें।

- छात्राओं की चयन प्रक्रिया समान होनी चाहिए। उसके लिए एक निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए, ताकि जिन लड़कियों के लिए यह योजना बनी है, वे इससे लाभांवित हो सकें।
- के.जी.बी.वी. में ब्रिज कोर्स के लिए एक ही पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इसकी समयावधि में थोड़ा लचीलापन बरतना चाहिए। जब तक छात्रा छठी कक्षा स्तर के योग्य न हो जाए, तब तक उसे ब्रिजिंग दिया जाना चाहिए।
- ब्रिज कोर्स के लिए अलग पाठ्यपुस्तकों के विकास की आवश्यकता है, जो इन लड़कियों की पृष्ठभूमि एवं स्तर को ध्यान में रखकर बनाई गई हों ताकि उनकी ब्रिजिंग ठीक से की जा सके, क्योंकि सामान्य छठी कक्षा में आने के लिए उन्हें विशेष ब्रिजिंग की आवश्यकता होती है।
- रोज़गार प्रशिक्षण और जीवन कौशल पर विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी के.जी.बी.वी. में रोज़गार प्रशिक्षण को एक निश्चित पाठ्यचर्या के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि विभिन्न स्तरों पर ड्रॉपआउट लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
- शिक्षकों को भी एक निश्चित चयन प्रक्रिया के तहत ही चयनित करना चाहिए। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वार्डन को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए तथा चयन के पश्चात् भी समय-समय पर उनके विषय के अनुरूप ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। के.जी.बी.वी. में बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। इसलिए प्रशिक्षण में लैंगिक संवेदनशीलता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- ढाँचागत और व्यवस्थागत स्तर पर एकरूपता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए और एक ही ज़िले में चल रहे के.जी.बी.वी. के बीच अंतर्संबंध स्थापित करने के प्रयास करने चाहिएँ।
- शिक्षकों की आवासीय स्थिति और सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है।
- जिस क्षेत्र में के.जी.बी.वी. चल रहा है, उस क्षेत्र की अन्य संस्थाओं, जैसे- हॉस्पिटल आदि के साथ संबंध होने चाहिएँ ताकि लड़कियों के लिए आसानी से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।
- के.जी.बी.वी. दूरदराज़ के इलाकों में स्थित हैं। यातायात का कोई साधन न होने के कारण आपात्कालीन स्थिति में समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक के.जी.बी.वी. के लिए यातायात का कोई साधन होना चाहिए।

- प्रत्येक के.जी.बी.वी. में शिक्षकों और अध्यापकों के लिए फोन की सुविधा होनी चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि ये के.जी.बी.वी. दूरदराज़ के इलाकों में होते हैं, आपात्कालीन स्थिति में फोन के न रहने पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पूर्णकालिक शिक्षक व छात्राएँ अपने घर से दूर इन विद्यालयों में रहती हैं। इसलिए यदि वे अपने घर पर बात करना चाहें तो इसके लिए फोन की सुविधा होनी चाहिए।
- यहाँ से सफलता प्राप्त छात्राओं की शिक्षा आगे भी ज़ारी रह सके, इसके लिए के.जी.बी.वी. को बारहवीं कक्षा तक करना उचित होगा।

उपरोक्त सुझावों को क्रियान्वित करने पर निश्चित रूप से इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की कार्यप्रणाली पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कार्यप्रणाली सुदृढ़ होगी तो निश्चित ही यहाँ पढ़नेवाली बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा।

''मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और सिर्फ़ आठवीं तक नहीं मैं पढ़-लिखकर कुछ बनना चाहती हूँ। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आकर मेरे अंदर आत्मविश्वास जागा है। मैं चाहती हूँ कि ये विद्यालय बारहवीं कक्षा तक हो जाएँ।''

❑❑❑